हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला-176213

Himachal Pradesh Board of School Education, Dharamshala-176213

क्रमांकः हि०शि०बो०(38)सम्बद्वता/2019- 38433-39633 दिनांकः 18/2/2019

प्रेषक:-

सचिव,
हि०प्र०स्कूल शिक्षा बोर्ड,
धर्मशाला-176213

प्रेषित:-

समस्त प्रबंधक/प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक,
हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला से संबद्वता प्राप्त
उच्च एवं उच्चतर निजी शिक्षण संस्थान।

विषय:- **Regarding Implementation of the Himachal Pradesh Private Educational Institution (Regulation) Act, 1997.**

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि शिक्षा निदेशक (उच्चतर) हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्याः- शिक्षा-एच(21)ए(1)16/2017-सामान्य निर्देश-लूज दिनांकः 11/02/2019 के निर्देशानुसार उन समस्त निजी स्कूलों को जिन्हें शिक्षा विभाग से बर्ष 2004-05 से पूर्व पाठशाला के संचालन हेतु मान्यता आदेश/मान्यता पत्र (Recognition Order/Recognition letter) प्रदान किये गये हैं को आगामी शैक्षणिक सत्र अर्थात 2020-21 आरम्भ होने से पूर्व सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने के उपरान्त शिक्षा विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

इसके अतिरिक्त जिन उच्चतर निजी शिक्षण संस्थानों को पूर्व में विभाग द्वारा कक्षा 10+1-10+2 चलाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है लेकिन उसमें संकाय (Arts/Science/Commerce stream) नहीं लिखा गया है, उन्हें भी जिस संकाय (Stream) के लिए संबद्वता की आवश्यकता है, अनापत्ति प्रमाण पत्र जिसमें संकाय अर्थात् Arts/Science/Commerce stream लिखा हो शिक्षा विभाग से प्राप्त कर बोर्ड कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य होगा अन्यथा शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार संस्थान की संबद्वता हेतु नहीं विचारा जायेगा।

अतः सभी निजी शिक्षण संस्थानों को जिनको विभाग द्वारा अनापति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है और हि०प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्वता प्राप्त हैं को दिनांकः 31-12-2019 से पूर्व विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। अन्यथा जिन स्कूलों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए संबद्वता नवीनीकरण हेतु बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के आवेदन किया जायेगा उन स्कूलों को शैक्षणिक सत्र 2020-21 से संबद्वता प्रदान नहीं की जायेगी।

भवदीय,
- Sd -
सचिव

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि। दिनांकः 18/2/2019

प्रतिलिपिः-

1. शिक्षा निदेशक(उच्चतर), शिक्षा निदेशालय उच्चतर, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171001 को उनके पत्र संख्याः-शिक्षा-एच(21)ए(1)16/2017-सामान्य निर्देश-लूज दिनांकः 11 फरवरी 2019 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. समस्त उप शिक्षा निदेशक(उच्चतर) हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित है।

सचिव

Scanned by CamScanner